



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 879]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सं. 05/2017-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि.1331(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1309(अ), दिनांक 18.10.2017 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

1. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1309(अ) दिनांक 18.10.2017 में, पैरा 2 में, उप-पैरा (i) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम पोस्ट की खेती की थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में **56 किलोग्राम अफीम प्रति हेक्टेयर** से कम अफीम की औसत उपज नहीं दी थी।”

2. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1309(अ), दिनांक 18.10.2017 में, पैरा 2 में उप-पैरा (v) के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(vi) वे किसान जो अधिसूचना सं. 02/2016-स्वापक नियंत्रण-I, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के पैरा 2क के अनुसार अफीम लाइसेंस को प्रदान किए जाने के पात्र तो थे लेकिन वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके/ या उनको नहीं प्राप्त हो सका या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी भी कारण से फसल वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम फसल की बुआई नहीं कर सके।”

[फा. सं. एन. 14011/1/2017-एनसी-I]

दिनेश बौद्ध, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2017

No. 05/2017-NARCOTICS CONTROL-I

G.S.R. 1331(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18/10/2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i), namely:—

1. In the said Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18.10.2017, in Para 2, Sub-Para (i) shall be substituted, namely:—

“(i) cultivators who had cultivated Opium Poppy during the crop year 2016-17 and tendered an average yield of opium having not less than 56 kg/ hectare of opium in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.”

2. In the said Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18.10.2017, in Para 2 after Sub-Para (v), the following shall be inserted, namely:—

“(vi) Cultivators who were eligible for grant of opium license in terms of Para 2A of Notification No. 2/2016-Narcotics Control-I dated 20th October 2016, but could not/did not obtain license, or could not sow the opium crop after obtaining the license, due to any reason during the crop year 2016-17”.

[F. No. N.-14011/1/2017-NC-I]

DINESH BOUDDH, Dy. Secy.

RAKESH
SUKULDigitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.27 22:39:38
+05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 861]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

सं. 03/2017- स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 1309(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 अक्टूबर, 2017 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:—

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्याधीन निम्नलिखित अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे—

- (i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में **5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर** से कम अफीम की औसत उपज नहीं दी थी।

टिप्पणी : प्रति हेक्टेयर किग्रा में मार्फीन के अवयव की औसत अर्हक उपज को इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात न्यूनतम अर्हक उपज कहा जाएगा।

- (ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष **2013-14 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की।**

- (iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2016-17 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।
- (iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2014-15 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्ट की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्ट की खेती वास्तव में न की हो।
- (v) किसान जो दिवंगत किसानों के कानूनन वारिस हैं और यदि एक से अधिक ऐसे कानूनन वारिस हैं तो उनमें से एक जिसको लाइसेंस के उद्देश्य के लिये जिला अफीम अधिकारी द्वारा कानूनी वारिस निर्धारित किया जाये।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:—

- (i) उसने फसल वर्ष 2016-17 के दौरान पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो;
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्ट की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो;
- (iii) फसल वर्ष 2016-17 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो;
- (iv) जिन्होंने 2016-17 के दौरान ऐसी अपमिश्रित अफीम या अफीम न दी हो जिसको कि सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच, गाजीपुर ने घटिया अफीम के रूप में वर्गीकृत किया हो, अर्थात् ऐसी अफीम जिसमें सुखाए जाने पर मार्फीन की मात्रा 9 प्रतिशत से कम हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

- (i) पैरा 2 के अंतर्गत आने वाले पात्र किसानों को **10 एयर** के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
- (ii) किसान अधिकतम **दो** भूखंडों में अफीम पोस्ट बो सकते हैं;
- (iii) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडों को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. पूर्व चेतावनी

- (i) आने वाले वर्ष 2018-19 में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए **5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर** की न्यूनतम अर्हक उपज देना जरूरी है।
- (ii) वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2018-19 के भुगतान का आधार माना जा सकता है और इसे ही यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले तो फसल वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस की पात्रता भी माना जा सकता है;
- (iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि वे फसल वर्ष 2017-18 में भी पुनः अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।
- (iv) फसल वर्ष 2017-18 में जिन किसानों की अफीम को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच, गाजीपुर ने अपमिश्रित या घटिया श्रेणी का माना है वे अगले फसल वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच, गाजीपुर किसी अफीम को तब घटिया घोषित कर देगा जब इसमें शुष्क आधार पर मार्फीन की मात्रा 9 प्रतिशत से कम हो।

6. माफी योग्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

- (i) जो किसान वर्ष 2017-18 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।
- (ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहीत किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।
- (iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
- (v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

[फा. सं. 14011/01/2017-स्वापक नियंत्रण-I]

टी. के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

No. 03/2017-Narcotics Control-1

G.S.R. 1309(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2017 and ending with the 30th day of September, 2018.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a licence to cultivate opium poppy:

- (i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2016-17 and tendered an average yield of opium having not less than **5.9 kg Morphine/Hectare** in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

Note : Average qualifying yield of Morphine Content in Kilogram per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY) in the notification hereinafter.

- (ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, **but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2013-14.**
- (iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2016-17.
- (iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2014-15 or during any subsequent crop year and were eligible for a license in the following crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (v) Cultivators who are the legal heirs of deceased eligible cultivators and in case there are more than one such legal heir, the one determined by the District Opium Officer as legal heir for the purpose of the license.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

- (i) He/she did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2016-17 beyond the **5%** 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- (ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made thereunder.
- (iii) He/she did not during the crop year 2016-17 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/Narcotics Commissioner to the cultivators.
- (iv) He/she did not tender during 2016-17 adulterated opium or opium classified as 'inferior opium' by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch/Ghazipur, i.e. opium with morphine strength of less than 9% on dry basis.

4. Maximum Area

- (i) All eligible cultivators under Para 2, will be issued license for **10 Ares.**
- (ii) Cultivators can sow opium poppy in not more than **two** plots.
- (iii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

- (i) A **minimum qualifying yield of 5.9 kg Morphine/Hectare in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh** must be tendered during the crop year 2017-18 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2018-19.
- (ii) Morphine content of opium tendered during 2017-18 may become the basis for payment for the crop year 2018-19 and eligibility for license in crop year 2018-19, if the Government decides to do so in this regard.
- (iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 would not be entitled for license in the crop year 2018-19, if they also plough back their crop fully in the crop year 2017-18.
- (iv) Cultivators whose opium for the crop year 2017-18 is found to be adulterated or classified as 'inferior' by the Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for license in the next crop year 2018-19. The Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will declare the opium to be 'inferior' if the morphine strength of opium is less than 9% on dry basis.

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

7. Miscellaneous

- (i) Any cultivator who cultivates opium poppy during 2017-18 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.
- (ii) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (iii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.
- (iv) The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.
- (v) The quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.

[F. No. 14011/01/2017-NC-1]

T. K. SATPATHY, Under Secy.

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.18
21:19:53 +05'30'